न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 116/2020   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00275**
दायर दिनांक :– 04.09.2020   **निर्णय दिनांक :– 10.11.2025**

1. राणाराम पुत्र माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
2. खेताराम पुत्र माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. गुड्डी पुत्री माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
3. भंवरी पुत्री माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री रवि कुमार पालीवाल अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मोहम्मद रफीक अधि. प्रति. सं. 2 व 3

–:: निर्णय ::–

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि खसरा नम्बर 846 रकबा 153–06 बीघा सरहद मौजा मशाला पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर वादीगण तथ्य प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त आज दिन तक शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम माधोराम पुत्र अर्जुनराम है इसी नाम से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता के मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड इत्यादि बने हुवे है और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता था लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम सरासर गलत तरीके से एवं अपनी मनमर्जी से माधाराम पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर माधोराम पुत्र उतमाराम दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत है। माधोराम पुत्र अर्जुनराम वर्तमान में फौत हो चुके है जिनके विधिक वारिसान एवं उतराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता माधोराम पुत्र अर्जनराम के फौतेदगी नामान्तरकरण भरवाने गये तो पटवारी हल्का ने गलत वल्दीयत होने से नामान्तरकरण भरने से मना कर दिया और कहा कि उक्त राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम गलत दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड आपके नाम से नामान्तरकरण नहीं भर सकते। वादीगण को पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि में आपके पिता का नाम माधोराम पुत्र उतमाराम दर्ज है जबकि तुम्हारे पिता के परिचय पत्र वगैरह माधोराम पुत्र अर्जुनराम के नाम से बने हुवे है। तब वादीगण ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की प्रतियां लेकर प्रतिवादी संख्या 1 के पास दिनांक 25.07.2020 को जाकर राजस्व

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रेकर्ड में वादीगण के नाम से फौतेदगी का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया जो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को वल्दीयत गलत दर्ज होने से फौतेदगी का नामान्तरकरण भरने से मना कर दिया और कहा कि आप सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ग्राम मशाला के खसरा नम्बर 846 रकबा 153–06 बीघा भूमि मे खातेदारी की घोषणा करवाने अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 846 रकबा 153–60 बीघा में माधोराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर माधोराम पुत्र उतमाराम के उत्तराधिकारी एवं वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमे किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण की और से वाद का विरोध नहीं होने तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादी संख्या 1 राणाराम ने अपने गवाह्न शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1, पड़ोसी खातेदार बगदाद खां ने अपने गवाह्न का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादी का इकबालिया जवाब, तहसीलदार बाप का जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम मशाला के खसरा नम्बर 846 रकबा 153–06 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण ने वाद में अपने पिता की वल्दियत माधोराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर माधोराम पुत्र अर्जुनराम किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीवार विवेचन किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 15 मौजा टेकरा में मोहना वल्द लक्ष्मण, अर्जुन वल्द भीका, उदा वल्द रामा के नाम दर्ज है। उदा वल्द रामा फौत होने पर इनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 15 स्वीकृत किया गया। अर्जुन वल्द भीका फौत होने पर इनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 260 भरा जाकर स्वीकृत हुआ तथा जमाबंदी सम्वत 2041–2044 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मोवन वल्द लक्ष्मण, माधोराम वल्द अर्जुनराम, माधोराम वल्द उतमाराम के नाम दर्ज है। वादपत्र में वादीगण ने माधोराम पुत्र अर्जुनराम के वारिसान होने के कथन किये है माधोराम फौत होने पर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया। माधाराम वल्द अर्जुनराम व माधोराम वल्द उतमाराम एक ही व्यक्ति थे तो वादीगण ने विरासत नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय माधोराम

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वल्द उतमाराम के हिस्से की भूमि का विरासत नामान्तरकरण दर्ज क्यो नहीं करवाया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माधोराम वल्द उतमाराम व माधाराम वल्द अर्जुनराम दोनों अलग–अलग व्यक्ति है। वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण (आर.ए.एस.)

1. राणाराम पुत्र माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
2. खेताराम पुत्र माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. गुड्डी पुत्री माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
3. भंवरी पुत्री माधोराम जाति सुथार निवासी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 116/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर रवि कुमार पालीवाल मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक एवं पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसुब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2025 को जारी की गई।

(सत्य नारायण R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।